प्र.सं. 82/2010 अन्तर्गत 212 एलआरएक्ट
विद्या देवी वगैरह बनाम निरंजन सिंह वगैरह
जीसीएमएस : 2010/00106

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
24.08.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण जवाब हेतु अवसर चाहते हैं। पूर्व में अप्रार्थीगण को जवाब हेतु अनेकों अवसर दिए जा चुके हैं। दिनांक 04.03.2020 को अंतिम अवसर पूर्व में दिया जाने के बावजूद भी न्यायहित में एक और अवसर दिया जाकर आगामी पेश पर जवाब पेश नहीं करने जवाब बंद समझा जावेगा के आदेश दिए गये थे। अतः जवाब अप्रार्थीगण बंद किया जाता हैं। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि इस प्रकरण से संबंधित वाद में प्रार्थीगण द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया हुआ हैं। विवादित भूमि का पक्षकारान के बाहमी बंटावारा कर रखा हैं। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खरीद के दिन से ही 28 पीएस मु.नं. 31 के.नं. 1,23 में से एक एक बीस्वा रास्ता चल रहा हैं। इस रास्ता स्वीकृत करने के लिए प्रार्थीगण ने अपने जवाब दावा में काउंटर क्लेम पेश किया हैं। हुक्म सिंह की दौराने वाद मृत्यु हो गयी हैं। रास्ता चालू रखने में हुक्म सिंह सहमत था। परन्तु अप्रार्थीगण जो कि हुक्म सिंह के वारिस हैं अब उनके मन में लालच आ गया हैं। और रास्ता बंद करना चाहते हैं। प्रार्थीगण के पास इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता अपनी भूमि में जाने के लिए नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को स्थाई करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि उनके पिता के नाम से संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज हैं। अतः प्रार्थना खारिज करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण दिनांक 21.09.2010 को न्यायालय में दायर हुआ था। जिसके बाद से वकील अप्रार्थीगण को जवाब हेतु अनेकों अवसर दिया जाने के बाद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया हैं। तथा प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि दावा में उनके द्वारा काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके द्वारा उन्होंने रास्ता की मांग की हैं। दिनांक 21.09.2010 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध रास्ता की भूमि पर मौका की यथास्थिति बनाए रखने के एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित किये गये थे। यदि अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से किसी प्रकार की क्षति होने की संभावना होती तो वे जवाब प्रस्तुत कर स्थगन आदेश निरस्त करने की मांग कर सकते हैं। चूंकि प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कोई एतराज आदि प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2010 को पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक स्थाई किया जाता हैं। [illegible] गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.10.08 17:35:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner